न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 210/2016/75 एलआर एक्ट

1. नत्थु खां पुत्र जस्सु खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 6 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. बरजादेवी पत्नि स्व. रतनलाल जाति ओसवाल महाजन निवासी वार्ड नं. 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कमल कुमार पुत्र रतनलाल जाति ओसवाल महाजन निवासी वार्ड नं. 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. मांगीलाल पुत्र रतनलाल जाति ओसवाल महाजन निवासी वार्ड नं. 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मोहन लाल रतनलाल जाति ओसवाल महाजन निवासी वार्ड नं. 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. धनराज पुत्र रतनलाल जाति ओसवाल महाजन निवासी भादरा।
7. विधादेवी पुत्री रतनलाल जाति ओसवाल महाजन निवासी वार्ड नं. 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. कमला पुत्री रतनलाल जाति ओसवाल महाजन निवासी वार्ड नं. 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. धनीदेवी पुत्री रतनलाल जाति ओसवाल महाजन निवासी वार्ड नं. 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. प्रेमदेवी पुत्री रतनलाल जाति ओसवाल महाजन निवासी वार्ड नं. 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 07.07.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिसमे चक 6 बीएचडी के मु.न. 57 के कि.न. 3,4,5 गैरमुमकिन रास्ता को रेस्पो0 सं. 1 ता 4 की खातेदारी दिये जाने बाबत।

उपस्थित :–
श्री विजय कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6, 8 ता 10
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय दिनांकः–18.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 07.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 ता 4 द्वारा अभिलेख मे दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के जरिये आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नही है और ना ही माननीय न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार से बाहर प्रस्तुत की गई होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मे अपील मे कथन किया कि विचारण न्यायालय ने बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये व सुनवाई किये उसके रकबे के लिए मंजूरशुदा रास्ता की भूमि को रेस्पो0 के नाम खातेदारी दर्ज की है जो कतई विधि विरूद्ध है। क्योंकि गैर मुमकिन रास्ता आम आदमी के उपयोग का है जिसे किसी व्यक्ति विशेष को नही दिया जा सकता। आम रास्ता की भूमि की भूमि को यदि मुमकिन बनाना है तो इसके लिए सार्वजनिक नोटिस आवश्यक है तथा साथ ही रास्ता से प्रभावित काश्तकारो को भी नोटिस जारी कर उनको सुना जाना आवश्यक है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम मे पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है। यदि उपरोक्त अनवानी अपील की सुनवाई कर न्याय निर्णय करने का क्षेत्राधिकार विधिक व कानूनन माननीय न्यायालय हाजा को नही है तो उपरोक्त अनवानी अपील को विधिक सुनवाई के अधिकारिता क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय मे लौटाने के आदेश कर अपील के पक्षकारो को आगामी तारीख पेशी नियत कर उपस्थिति के आदेश दिये जावे। अपील खारिज करने से अपीलांट को नापूरा होने वाला नुकसान होगा जो विधि सम्मत नही है।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे रेस्पो0 अधिवक्ता ने उपखण्ड अधिकारी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम मे पारित

निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मे पारित निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। हस्तगत प्रकरण मे भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय मे अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नही है जिसके सन्दर्भ मे रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजस्व (ग्रुप–4) विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जून 1987 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं0 15) की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिये है कि उक्त अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (1) के खण्ड (च) द्वारा धारा 76 के खण्ड (ग) द्वारा निदेशक भू–अभिलेख की प्रदत्त शक्तियों खण्ड आयुक्तो द्वारा अपनी अपनी अधिकारिता मे प्रयुक्त की जावेगी। ऐसी स्थिति मे चूंकि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम मे अपील सुनने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नही है। इसलिए अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार से बाहर प्रस्तुत की गई होने के कारण अपील खारिज की जाती है। अपीलांट चाहे तो सक्षम न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त या श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त मे चाराजोई कर सकता है जिसके लिए अपीलांट स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ